न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

<u>निर्णय द्वारा अध्यासित बिष्णु चरण मल्लिक आई॰ए॰एस</u>

प्रकरण संख्या **02/2017** अपील (राजस्व)

श्री इन्द्र भारती पुत्र श्री कैलाश भारती, निवासी करेलो का गुड़ा, पटवार हल्का चीरवा, तहसील बड़गॉव, जिला उदयपुर (राज.)

—— **अपीलान्ट**

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बड़गॉव, जिला उदयपुर (राज.)

—— **रेस्पोडेन्ट**

<u>अपील अन्तर्गत धारा 75 भू. राजस्व अधिनियम अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 28.11.16 उप तहसीलदार बड़गॉव पत्रावली संख्या 20/2016 ना.क. बअनवान पटवार हल्का चीरवा बनाम इन्द्र भारती</u>

उपस्थित : श्री नरपतसिंह चुण्डावत, अधिवक्ता अपीलान्ट
श्री मनोज कुमार पॅवार, पैरोकार सरकार

<u>निर्णय</u>

दिनांकः—03.07.2018

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा एक अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि ग्राम करेलो का गुड़ा, पटवार हल्का चीरवा, तहसील बड़गॉव स्थित आराजी संख्या 551 रकबा 1.0800 हैक्टर किस्म बिलानाम सरकार भूमि पर अपीलान्ट का सन् 1980 से निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है एवं अपीलान्ट ने उक्त भूमि को कृषि योग्य बना कर आबाद की है व उक्त भूमि पर कुआं खोदा गया है जिस पर मोटर लगी हुई है एव वर्तमान में दोनो फसलो की पैदावार हो रही हैं। इस प्रकार अपीलान्ट ने उपरोक्त भूमि को आबाद करने में सुधार कार्य करने में करीब पॉच लाख

रूपये खर्च किये हैं। अपीलान्ट एक भूमिहीन काश्तकार है व अन्य पिछड़ा वर्ग जाति का सदस्य हैं। उपरोक्त भूमि के अतिरिक्त अपीलान्ट के पास और कोई कृषि भूमि नहीं हैं। अपीलान्ट के परिवार के गुजर बसर का एकमात्र सहारा उपरोक्त भूमि ही है इसलिये उपरोक्त भूमि का नियमन अपीलान्ट अपने नाम पर कराने का अधिकारी हैं। न्यायालय उपतहसीलदार बड़गॉव द्वारा अपीलान्ट को उक्त आराजी बाबत धारा 91 एल.आर.एक्ट. के तहत नोटिस जारी किया गया जिसमें तारीख पेशी 28.11.16 नियत की गई। उक्त दिनांक को अपीलान्ट अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ एवं नोटिस का जवाब एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु अवसर दिये जाने के लिये अधिनस्थ न्यायालय से प्रार्थना की लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को बिना सुने, बिना साक्ष्य सबूत लिये दिनांक 28.11.16 को ही निर्णय पारित कर दिया एवं अपीलान्ट के विरूद्ध बेदखली का आदेश पारित कर दिया जो प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं। अधिनस्थ न्यायालय ने मनमकसूद तरीके से आदेश में यह अंकित कर दिया कि पुराने कब्जे के प्रमाण में कोई दस्तावेजी सबूत प्रस्तुत नहीं किये जबकि अपीलान्ट को दस्तावेजी सबूत पेश करने का एक भी अवसर नहीं दिया गया। अधिनस्थ न्यायालय ने एक तरफ अपीलान्ट की उपस्थिति अपने आदेश में दर्शा रखी है, दूसरी तरफ उसी आदेश में यह अंकित कर रखा है कि अतिक्रमी बाद तामील नोटिस के अनुपस्थित रहने से एकतरफा कार्यवाही कर प्रकरण निर्णित किया जाता है जबकि दिनांक 28.11.16 की फर्द अहकाम पर अपीलान्ट के हस्ताक्षर मौजुद हैं। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय ने अपने माईन्ड को एप्लाई नहीं किया है व छपे छपाये प्राफोर्मे पर नाम पते भर कर आदेश जारी कर दिया गया। अपीलान्ट को धारा 91 के तहत जो नोटिस जारी किया गयाहै उसमें प्रकरण संख्या 19/2016 दर्ज है एवं जो आदेश पारित किया गया है उसमें प्रकरण संख्या 20/2016 दर्ज हैं। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय के नोटिस एवं आदेश में विरोधाभास है जिससे भी यह साबित होता है कि अधिनस्थ

न्यायालय ने उक्त प्रकरण के निस्तारण में अपना माइन्ड एप्लाई नहीं किया है व मनमकसूद तरीके से आदेश पारित कर दिया है जो गलत होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं। अपीलान्ट पूर्व में भी माननीय अधिनस्थ न्यायालय में, माननीय उपजिला कलक्टर के यहॉ एवं माननीय सम्भागीय आयुक्त के यहॉ उपरोक्त भूमि के नियमन बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर चुका है जिसके तहत दिनांक 18.05.16 को माननीय संभागीय आयुक्त, उदयपुर द्वारा माननीय जिला कलक्टर, उदयपुर को एक पत्र प्रेषित किया था कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर नियमानुसार आवंटन/ नियमन की कार्यवाही करते हुए प्रार्थी को सीधे ही सूचित कराने का श्रम करावें लेकिन आज दिन तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है जबकि अपीलान्ट नियमन की पूर्ण पात्रता रखता है इसलिये अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर तहसीलदार बड़गॉव को अपीलान्ट के प्रकरण को नियमन हेतु नियमन कमेटी में रखने का आदेश प्रदान किया जाना न्यायहित में आवश्यक हैं।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। विपक्षी द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं कर सीधे ही बहस की गई।

पत्रावली में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्ववान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि पर अपीलार्थी का कब्जा काफी पुराना हैं। संवत् 2041 से आज दिन तक भूमि पर कब्जा होने के संबंध में अपीलार्थी के पास पुख्ता प्रमाण हैं। इस संबंध में अपीलार्थी द्वारा पूर्व में एक आवेदन माननीय संभागीय आयुक्त महोदय, उदयपुर को भी प्रस्तुत किया गया। जिनके द्वारा भी भूमि का नियमानुसार आवंटन/ नियमन की कार्यवाही किये जाने बाबत आपको लिखा गया था। उसके उपरान्त भी आज दिनांक तक कोई कार्यवाही नहीं की गई हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा भी साक्ष्य सबुत प्रस्तुत किये जाने का अवसर प्रदान नहीं किया गया। नाही सुनवाई की गई। मात्र प्रिन्टेड प्रफोर्मा में नाम पते

भरकर आदेश जारी कर दिया गया। जो अवैधानिक होने से निरस्त योग्य हैं। आदेश दिये जाने में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने माईन्ड को भी एप्लाई नहीं किया गया। अतः अधिनस्थ न्यायालय के आदेश को अपास्त किया जाकर तहसीलदार बड़गॉव को आदेशित कराना फरमावें कि वादग्रस्त भूमि का नियमन/आवंटन अपीलार्थी के नाम नियमानुसार किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट द्वारा अपीलार्थी के कथनो का विरोध करते हुए निवेदन किया कि अपीलार्थी द्वारा अतिक्रमित भूमि पर नियमित कब्जा अपीलार्थी का नहीं रहा हैं। नियमित कब्जा साबित कराने में अपीलार्थी असफल रहा हैं। अपीलार्थी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में बावजुद नोटिस दिये जाने के उपरान्त भी साक्ष्य सबुत प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज फरमायी जावें।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अध्ययन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का भी अवलोकन किया गया। बहस पर मनन करने के उपरान्त न्यायालय का मत है कि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो के अनुसार संवत् 2041, 2043, 2044, 2045, 2047, 2048, 2049, 2050, 2059, 2067 के सूचना पत्र एवं नोटिसो की छायाप्रतियो के आधार पर प्रथम दृष्ट्या वादग्रस्त भूमि पर कब्जा अपीलार्थी का पुराना प्रतित होता हैं। परन्तु अतिक्रमित भूमि बिलानाम हैं या चारागाह हैं इसका पत्रावली के अवलोकन पर ज्ञान नहीं होता हैं। साथही अपीलार्थी भूमिहीन काश्तकार की श्रेणी में आता है अथवा नहीं। अतिक्रमित भूमि नियमन की श्रेणी में आती है अथवा नहीं। इस संबंध में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में कोई विवेचना नहीं की हैं। अपीलार्थी द्वारा भी अधिनस्थ न्यायालय में साक्ष्य सबुत प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। अपीलार्थी द्वारा अतिक्रमित भूमि नियमन की श्रेणी में आती हो एवं अतिक्रमी नियमन/आवंटन की पात्रता रखता हो तो नियमानुसार कार्यवाही करें एवं अतिक्रमित भूमि पैराफेरी क्षेत्र में तो नहीं है उसकी भी जॉच कर ली

जावें। साथही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया गया है वह भी छपे छपाये प्रफोर्मे में नाम पते भरकर आदेश जारी कर दिया गया है जो कानुन सम्मत नहीं हैं। आदेश को विधिवत लिखाया जाना आवश्यक हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 28.11.16 को अपास्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार बड़गॉव को इन निर्देशो के साथ में प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में अपीलार्थी को साक्ष्य सबुत प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर प्रदान किया जाकर ऑब्जर्वेशन की रोशनी में नये सीरे से आदेश पारित करें।

निर्णय की प्रति मय अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्रेषित की जावें।

पत्रावली फैसल शुमार हों। बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हों।

(बिष्णु चरण मल्लिक)
जिला कलक्टर
उदयपुर